



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12205/2025

Ravi Meena Alias Roman S/o Shri Kishan Lal Meena, Aged About 28 Years, R/o Pani Ki Tanki Ke Pass, Pintu Ki Dukan, Chamtikhedha, Police Station Kotwali, Chittorgarh, Presently Residing At Ward No. 17, Village Parasiya, Madanganj, Police Station Madanganj Kishangarh, District Ajmer (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, Gy.GA

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/12/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना-**विशेष अपराध एवं साईबर काईम पुलिस थाना, आयुक्तालय जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**392/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2) 61(2)(बी), 308(2) भारतीय न्याय संहिता तथा 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। यह भी निवेदन किया कि उसके बैंक खाते में कोई राशि अन्तरित नहीं हुई है, सह-अभियुक्त गोगराज तथा दिनेश के बैंक खाते में तीन-तीन लाख रुपये अन्तरित हुए थे, जिनकी जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, अभियुक्त का कोई पूर्ववर्ती



आपराधिक रिकार्ड नहीं है, इसलिए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर 80 वर्षीय परिवादी को डिजिटल अरेस्ट कर नब्बे लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। वह दिनांक 03.12.2024 से अभिरक्षा में है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **रवि मीणा उर्फ रोमन पुत्र किशनलाल मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J